कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर

(जिला–गोरखपुर उ0प्र0)

संख्यांक/निरीक्षण/ /2020–21 दिनांक

प्रबन्धक,
सावित्री पब्लिक स्कूल
बुढाडीह गुलरिहा बाजार
गोरखपुर।

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम – 2009 की धारा – 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए **मान्यता प्रमाण पत्र।**

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक 18.02.2020 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यलाय के साथ पाश्चातवर्ती पत्राजात/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मै सावित्री पब्लिक स्कूल , बुढाडीह , गुलरिया बाजार ,गोरखपुर को दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2023 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्री–प्राइमरी एवं जु0हा0स्कूल स्तर (प्राइमरी स्तर से पूर्व की दो कक्षायें तथा एक से आठ तक की कक्षाओं) के लिए अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्याधीन हैः–

1- मान्यता की मंजूरी वित्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009(उपबंध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार निमय 2010 (उपबंध–2) के उपबंधो का पालन करेगा।
3- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालकों की संख्या 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4- पैरा–3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रर्तिपूर्तिया प्रदान करने की लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और यह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा।
(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जाएगा।
(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उतीर्ण करने की अपेक्षा नही की जाएगी।
(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन तथा अधिकथित न्यूनतम आर्हतओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नही है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगें।

(vii) अध्यापक अधिनियम को धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तब्यों का पालन करता है और

(viii) अध्यापक स्वया को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नही करेंगे।

7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8- विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में यथाविर्दिष्ट विद्यालय के मानको और संनियमों को बनाए रखेगा।
अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार है।
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल–**6480 वर्गमीटर**
कुल निर्मित क्षेत्र–**3000 वर्गमीटर**
क्रीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल–**2200 वर्गमीटर उपलब्ध है।**
कक्षाओ की संख्या–**20 उपलब्ध है।**
प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडागार के लिए कक्ष–उपलब्ध है।
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय–10+10=20 उपलब्ध है।
पेयजल सुविधा–साधारण हैण्ड पम्प, बोरिंग नल उपलब्ध है।
मिड–डे–मिल पकाने के लिए रसोई–उपलब्ध
बाधारहित पहुंच–उपलब्ध है।
अध्यापन पठन सामाग्री/क्रीडा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता–उपलब्ध है।

9- विद्यालय के कक्षाएं के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाएगी।

10- विद्यालय भवनों या अन्य संस्थाओं का क्रीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय पवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी संस्था द्वारा चलाया जा रहा है।

12- स्कूल को किसी व्यक्ति व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।

13- विद्यालय के लेखओं की किसी चार्टट अकाउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए।
प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक **C/08/2020** है कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इए संख्यांक का उल्लेख करें।

15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।

16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यादि कोई हो को सुनिश्चित किया जायें।

17- शिक्षकों कर्मचारियों की नियुक्ति में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जू0हा0स्कूल0) (अध्यापकों की भर्ती एवं सेवाशर्ते) नियमावली 1976 में विहित प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

18- जिस विद्यालय भवन पर उक्त मान्यता प्रदान की जा रही है, उस विद्यालय भवन पर पूर्व से प्राप्त की गयी मान्यता स्वतः निरक्त समझा जायेगा।

19- मान्यता आवेदन पत्र तथा संलग्न पत्राजातों में उल्लिखित अन्य कोई विवरण/ तथ्य असत्य पाये जाते है अथवा कोई तथ्यगोपन पाया जाता है या मान्यता आवेदन प्रमाण–पत्र में जिन कक्षाओं का उल्लेख है उसके अतिरिक्त अन्य कक्षायें संचालित पाये जाने पर मान्यता प्रमाण–पत्र नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा।

भवदीय

(बी० एन० सिंह)
जिला बेसिक अधिकारी
गोरखपुर।

पृ0सं0–संख्यांक/निरीक्षण/ /2020–21 तद्दिनांक
प्रतिलिपि–सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) गोरखपुर मण्डल गोरखपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला बेसिक अधिकारी
गोरखपुर।